कार्यालय

वन मण्डल विदिशा

ई–मेल. dfotvidisha@mp.gov.in **दूरभाष**– 07592- 232967, **फैक्स**– 236976

क्रमांक / मा0चि0 / 572 विदिशा, दिनांक 23/ 05 / 2018

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–विदिशा

विषय :– सेमलखेडी तीर्थ परियोजना एवं टेम मध्यम परियोजना अंतर्गत प्रभावित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित की जा रही गैर वनभूमि के सीमांकन के सबंध में।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / मा.चि. / 542 दिनांक 07 / 02 / 2018

–––00–––

विषयांतर्गत परियोजनायें विदिशा जिले में प्रस्तावित हैं। आपके द्वारा हस्तांतरण आदेश दिनांक 10 / 10 / 2017 एवं दिनांक 08 / 09 / 2017 को पारित आदेशों में वनभूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गईं भूमियों का सीमांकन कराने हेतु संदर्भित पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है। परंतु उक्त योजनाओं में प्रस्तावित भूमियों का सीमांकन कर वन विभाग को अभी तक मौके पर हस्तांतरण नहीं हुआ है। इस कारण दोनों योजनायें लंबित हैं। जिनकी समीक्षा वरिष्ठ द्वारा की जा रही है। कृपया उक्त योजनाओं में प्रस्तावित गैर वनभूमि (राजस्व भूमि) का शीघ्र सीमांकन कर वन विभाग को हस्तांतरण कराने का कष्ट करें।

वनमंडलाधिकारी,
समान्य वन मण्डल, विदिशा

क्रमांक / मा0चि0 / 573 विदिशा, दिनांक 23/ 05 / 2018

प्रतिलिपि :–

1 कार्यपालन यंत्री संजय सागर बांह नदी संभाग गंजबासौदा को लेख है कि उक्त परियोजनाओं में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त भूमि का सीमांकन कराकर वन परिक्षेत्र अधिकारियों को भूमि का वास्तविक हस्तांतरण शीघ्र करावें।

2 उप वनमण्डलाधिकारी सिरोंज को अग्रेषित कर लेख है कि, उक्त कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करावें।

3 वन परिक्षेत्र अधिकारी सिरोंज एवं दक्षिण लटेरी को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि, प्रस्तावित भूमियों का शीघ्र सीमांकन कराकर उपयुक्त भूमि प्राप्त करें।

4 तहसीलदार सिरोंज एवं लटेरी को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी